

संचालनालय नगर तथा ग्राम निवेश मध्य प्रदेश भोपाल

‘कघनार’ ई-5 पर्यावरण परिसर अरेठा कालोनी, हवीबगज पुलिस थाना के पास, भोपाल-462016

E-Mail : mptownplan@mp.gov.in

कमांक ४२०/वि.यो.496 / नगरानि/

भोपाल, दिनांक ३१/११/ 2018

रतलाम विकास योजना 2021 में प्रस्तावित उपांतरण की सूचना

एतद् द्वारा सूचना दी जाती है कि रतलाम विकास योजना 2021 में उपांतरण का प्रारूप मध्य प्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 की धारा 23(कमांक 23 सन 1973), की धारा 18 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार निम्नलिखित अनुसूची में प्रकाशित किया गया है। जिसकी प्रति निरीक्षण के लिये निम्न कार्यालयों में उपलब्ध है:-

1. आयुक्त, उज्जैन संभाग, उज्जैन
2. कलेक्टर, जिला रतलाम
3. उप संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, रतलाम।
4. आयुक्त, नगर पालिक निगम, रतलाम।

अनुसूची

| क्र. | विकास योजना (नगर का नाम) | विकास योजना में भूमि उपयोग | अध्याय | विकास योजना की सारणी/कंडिका कमांक | सारणी/कंडिका / कॉलम का सरल कमांक | उपांतरण प्रस्ताव उपांतरित कॉलम कमांक(5) एवं कॉलम कमांक (6) में अतिरिक्त प्रस्तावित स्वीकृत उपयोग |
|------|--------------------------|---------------------------------------|--------|-----------------------------------|----------------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | रतलाम विकास योजना 2021 | सार्वजनिक एवं अर्द्धसार्वजनिक कृषि | 4 4 | 4-सा-6 4-सा-6 | 4 8 | गैर प्रदूषणकारी उद्योग ** सूचना प्रौद्यौगिकी*, गैर प्रदूषणकारी उद्योग **, कृषि पर्यटन सुविधा*** एवं समस्त प्रकार के भण्डारण सक्षम अधिकारी द्वारा स्वीकार्य होंगे। |
| | | | | | | |

व्याख्या-


i. *सूचना प्रौद्यौगिकी से तात्पर्य है मध्य प्रदेश शासन द्वारा सूचना एवं प्रौद्यौगिकी विभाग के नीति पत्र में वर्णित उद्योग एवं संस्थायें।

ii. **गैर प्रदूषणकारी उद्योग से तात्पर्य है कि मध्य प्रदेश प्रदूषण निवारण मंडल द्वारा सफेद श्रेणी में वर्गीकृत उद्योग।

iii. *** कृषि पर्यटन सुविधा से तात्पर्य है कि मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 17(क) के अनुसार।

टीप:- उपरोक्त i एवं ii के भूखण्ड हेतु पंहुच मार्ग की न्यूनतम चौड़ाई 12.0 मीटर होगी।

प्रस्तावित उपांतरण के ब्यौरे सूचना प्रकाशन की तिथि से 30 दिन की समयावधि के लिये आम जनता के निरीक्षण हेतु www.mptownplan.gov.in वेबसाईट पर भी उपलब्ध होंगे। यदि कोई आपत्ति या सुझाव प्रारूप उपांतरण के संबंध में हों, उसे लिखित में कार्यालयीन समय में नगर तथा ग्राम निवेश के उपरोक्त वर्णित जिला कार्यालय में "मध्य प्रदेश राजपत्र" में इस सूचना के प्रकाशित होने के दिनांक से 30 दिन की अवधि का अवसान होने के पूर्व, सम्यक विचार हेतु प्रस्तुत किया जा सकता है।



संचालक
नगर तथा ग्राम निवेश मध्य प्रदेश भोपाल